संख्या: 30/2022/1033629/12-2099/738/2020

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त लीड बैंक मैनेजर, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 22 अप्रैल, 2022

विषय: ***किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी*** कैम्पेन (दिनॉक 24 अप्रैल, 2022 से दिनांक 01 मई, 2022 तक) विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 1-4/2022-क्रेडिट-1, दिनांक 10 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर संतृप्त किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 24 अप्रैल, 2022 से दिनांक 01 मई, 2022 तक एक त्वरित अभियान चलाया जाना है। ज्ञातव्य है कि पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को समस्त ग्राम सभाओं में एक विशेष ग्राम सभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मा0 प्रधान मंत्री जी का सम्बोधन भी निर्धारित है। इसी विशेष सत्र से किसान क्रेडिट कार्ड के संतृप्तीकरण कैम्पेन का प्रारम्भ किए जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं।

2. इस सम्बन्ध में दिनांक 23 अप्रैल, 2022 को अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मध्यान्ह 12.00 बजे एक बेबिनार के माध्यम से तैयारी बैठक आहूत की गई है।

अतएव भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया सन्दर्भित वेबिनार में तैयारी सहित संबंधित अधिकारियों के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें। वेबिनार का लिंक पृथक से ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 30/2022/1033629(1)/12-2099/738/2020 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि,

1. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त वेबिनार हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in